बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद

पत्रांकः एन.डी.यू.ए.टी.–51/15/2013/ **दिनांकः** जून, 2013

<u>निविदा सूचना 2013–14</u>

विश्वविद्यालय के अधीनस्थ बीज विधायन संयंत्र कुमारगंज/मसौधा पर उपलब्ध अवशेष खाद्यान्नों/फेल्ड सीड व छानस का विक्रय निविदा के माध्यम से किया जाना है। इस निविदा हेतु पंजीकृत क्रताओं से सीड बन्द टेक्निकल एवं फाइनेन्सियल निविदाओं को अलग–अलग दिनांक 09.07.2013 को सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेब साइट www.nduat.ernet.in/ www.nduat.co.nr पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।

संयुक्त निदेशक
(बीज एवं प्रक्षेत्र)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद (उ0प्र0)

खाद्यान्न नीलामी (2013–14) की सामान्य शर्ते निम्नवत है:–

निविदा प्रपत्र पूर्णतः भरा हुआ कार्यालय में प्राप्ति की अन्तिम तिथिः 09.07.2013 को सायं 4.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि : 10.07.2013

निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदादाता को विश्वविद्यालय की बेव साइट www.nduat.ernet.in/ www.nduat.co.nr से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के शुल्क के रूप में रूपये 500.00 (पॉच सौ रूपये मात्र) का डाफ्ट जो वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं पौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज के पक्ष में हो ''टेक्नीकल निविदा''संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क के किसी भी निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा।
2. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ रूपये 30,000.00 (तीस हजार रूपये मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट धरोहर के रूप में फाइनेन्सियल निविदा के साथ संलग्न कर जमा करना होगा।डिमान्ड ड्राफ्ट पंजाब नेशनल बैंक, कुमारगंज में देय वित्त नियंत्रक, नरेन्द्र देव कृषि एवं पौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पक्ष में होना चाहिये। अनुमोदित निविदादाता को छोड़कर शेष अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट मूलरूप में निविदा स्वीकृत होने के उपरानत वापस कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन न करने की दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. निविदादाता द्वारा दिया गया दर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ आने वाले सम्बन्धित समस्त प्रक्षेत्रों/बीज विधायन संयंत्र हेतु लागू होगा।
4. निविदादाता को अपनी निविदायें टेक्नीकल एवं फाइनेन्सियल अलग–अगल सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर '' निविदा वास्ते खाद्यान्न'' अंकित हो पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दिनॉक 09.07.2013 को सायं 4:00 बजे तक कुमारगंज स्थित संयुक्त निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के कार्यालय में जमा करनी होगी। विलम्ब से प्रेषित अथवा डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
5. दिनॉक 09.07.2013 तक प्राप्त निविदाओं को समिति द्वारा दिनॉक 10.07.2013 को पूर्वान्ह 11.00 बजे निदेशक शोध के कक्ष में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय इच्छुक निविदादाता भी उपस्थित रह सकते है।
6. निविदादाता के समस्त खाद्योन्नों की दर (रूपये प्रति कुन्तल) बेव साइट से डाउनलोड/ कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी निविदा प्रपत्र में ही खाद्यान्न के नाम के सम्मुख अंकित दर के कालम में भरकर जमा करना ही मान्य होगा।
7. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ विक्री कर के पंजीकरण खाद्यान्न क्रय करने का बैध लाइसेन्स के साथ पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा लाइसेन्स/कार्ड की मूल प्रतियां निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. उपरोक्त अंकित खाद्यान्नों में से आंशिक अथवा समस्त खाद्यान्नों को विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ प्रयुक्त करने के उपरान्त अवशेष मात्रा ही निविदादाता को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार खाद्यान्न की मात्रा घट–बढ़ सकती है।
9. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को खाद्यान्न के मूल्य का 25 प्रतिशत भाग तुरन्त अथवा एक सप्ताह के भीतर धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रिम का समायोजन खाद्यान्न के अन्तिम भुगतान के साथ किया जायेगा।
10. खाद्यान्न जहां जैसी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ब्रिक्री किया जायेगा। खाद्यान्न का नमूना सम्बन्धित बीज विधायन संयन्त्र पर देखा जा सकता है।
11. क्रेता को खाद्यान्न की ढुलाई, भराई, वाहन, बोरा आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
12. निविदादाता को समस्त खाद्यान्न आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।

13. निर्धारित समय में खाद्यान्न न उठाने की स्थिति में 2.50 रू0 प्रति कुन्तल प्रतिदिन क्षतिपूर्ति वसूल की जायेगी। जिसे विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में उक्त क्षतिपूर्ति अधोहस्ताक्षरी के आदेश के उपरान्त ही क्षम्य होगी।
14. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
15. खाद्यान्न उठाते समय सम्बन्धित क्रेता को सौ रूपये मूल्य के नॉन जूडिशियली स्टाम्प पर इस आशय का अनुबन्ध देना होगा कि उपचारित खाद्यान्नों का प्रयोग मनुष्य, जीव–जन्तु एवं पक्षियों के खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त नही किया जायेगा।
16. बिक्रीकर/आयकर एवं अन्य सम्बंधित कर के भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
17. निविदादाता को उपरोक्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदा शर्तो का पालन न करने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
18. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के निपटारे का अधिकार कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के पास सुरक्षित होगा, जिसे मानने के लिये सबकी बाध्यता होगी।

संयुक्त निदेशक
(बीज एवं प्रक्षेत्र)

उपर्युक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं पता

बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद

निविदा प्रपत्र

क्रेता का नाम एवं पताः ....

....

मोबाइल नं0.. वैध लाइसेन्स पंजीयन संख्या...

विक्रीकर टिन सं0..पैन सं0...

धरोहर धनराशि...रू0 30,000.00 बैक ड्राफ्ट नं0..

दिनांक ....

बीज विधायन संयंत्र, कुमारगंज/मसौधा पर उपलब्ध नीलामी हेतु अवशेष खाद्यान्नों का विवरण

क्र.सं0.	विवरण	कुमारगंज मात्रा (कु0)	दर (प्रति कु0)	मसौधा मात्रा (कु0)	दर (प्रति कु0)	योग मात्रा (कु0)
1.	गेंहूँ विधायित–उपचारित	640.00		237.36		877.36
2.	चना विधायित–उपचारित	5.25		–		5.25
3.	मटर विधायित–उपचारित	1.60		0.01		1.61
4.	जौं विधायित–उपचारित	26.70		4.90		31.60
5.	मसूर विधायित–उपचारित	7.34		2.07		9.41
6.	राई विधायित–उपचारित	1.65		6.73		8.38
7.	जई विधायित–उपचारित	–		4.26		4.26
8.	गेहूँ अण्डर साइज	–		100.00		100-00
9.	जौ, अण्डर साइज	–		3.89		3-89
10.	राई, अण्डर साइज	1.95		3.61		5-56
11.	दलहन अण्डर साइज (रबी + खरीफ)	41.78		9.90		51-68
12.	उर्द विधायित उप0	–		1.53		1-53
13.	मूंग विधायित उप0	–		0.15		0-15
14.	धान मोटा विधायित उप0(2011)	–		425.68		425-68
15.	धान महीन विधायित उप0(2011)	–		13.37		13-37
16.	सुपर महीन विधायित उप0(2011)	–		4.26		4-26
17.	बरसीम अण्डर साइज	–		0.12		0-12
18.	अरहर विधायित उप0 (2011–12)	9.18		0.18		9-36
19.	बरसीम विधायित उप0 (2011–12)	–		0.18		0-18
20.	जई अण्डर साइज	–		1.76		1-76
21.	धान मोटा विधायित उप0 (2012)	75.30		470.10		545-40
22.	धान मध्यम विधायित उप0 (2012)	–		7.50		7-50
23.	धान महीन विधायित उप0 (2012)	–		75.60		75-60
24.	धान सुपर महीन विधायित उप0 (2012)	–		10.20		10-20
25.	धान अण्डर साइज (2012)	500.00		210.00		710-00
26.	तिल अण्डर साइज (2012)	0.45		–		0-45

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं दिनांक